भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2998 का उत्तर

धार्मिक आयोजनों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ नियंत्रण प्रणाली

2998. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले हेतु यात्रा करने वाले यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई थी और यदि हां, तो कितने लोगों के हताहत होने और घायल होने की सूचना मिली है;

(ख) धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ को संभालने के लिए विद्यमान मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुंभ मेले से पूर्व नई दिल्ली सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर तीर्थयात्रियों के अपेक्षित आगमन के संबंध में आकलन किया था और यदि हां, तो क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए थे;

(घ) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थित अवसंरचना कुंभ मेले जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान भारी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्लेटफार्मों का विस्तार करने, प्रवेश-निकास स्थलों को बढ़ाने अथवा भीड़ नियंत्रण प्रणालियों का उन्नयन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) अधिक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुरक्षा अवसंरचना में सुधार करने के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;

(छ) क्या भीड़-भाड़ का पता लगाने और उसे रोकने हेतु कोई वास्तविक समय निगरानी प्रणाली मौजूद थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या भगदड़ की इस घटना से मिली सीख को भावी रेल सुरक्षा नीतियों में शामिल किया जाएगा; और

(झ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भावी कुंभ मेलों और अन्य बड़े धार्मिक समारोहों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (झ): नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15.02.2025 को हुई भगदड़ की घटना में 18 व्यक्ति हताहत हुए और 15 लोग घायल हुए।

त्यौहारों के दौरान यात्रियों की अलग-अलग आवाजाही पैटर्न के कारण प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर विशिष्ट परिचालनिक चुनौतियाँ होती हैं। सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए, सभी हितधारकों को शामिल करके स्टेशन विशेष योजनाएँ बनाई जाती हैं, जिनमें राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), स्थानीय पुलिस और स्थानीय नागरिक प्रशासन शामिल होते हैं और तदनुसार यात्रियों के अंतः प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए, नई अवसंरचना का निर्माण किया गया, जिसमें सात अतिरिक्त प्लेटफार्मों का निर्माण किया

गया, जिससे प्रयागराज क्षेत्र में 9 स्टेशनों में कुल प्लेटफॉर्म 48 हो गए हैं। इन स्टेशनों के लिए पहुंच मार्गों को चौड़ा भी किया गया ताकि तीर्थयात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित हो। कुल मिलाकर, 17 नए स्थायी यात्री आश्रयों का निर्माण किया गया, जिससे इन आश्रयों की क्षमता 21,000 से बढ़कर 1,10,000 से अधिक हो गई। इसके अतिरिक्त, 21 नए उपरि सड़क पुलों और निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया, जिससे क्षेत्र में सभी समपारों को समाप्त हो गए हैं।

कुंभ के दौरान सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से समन्वित गाड़ी परिचालन योजना लागू की गई। प्रत्येक स्टेशन पर स्वयं का नियंत्रण कक्ष था, जबकि प्रयागराज जंक्शन पर एक केंद्रीय मास्टर नियंत्रण कक्ष था। गाड़ी परिचालन और स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए मानक संचालन पद्धतियां विकसित की गई थी।

यात्रियों की भीड़-भाड़ को सुचारू बनाने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं, जिसमें प्रमुख स्नान दिनों पर स्टेशनों पर एक तरफ से प्रवेश और निकासी प्वाइंट तथा प्लेटफार्मों, पैदल पार पुलों और रैंप पर एकतरफा आवागमन शामिल है।

महाकुंभ-2025 के लिए सुरक्षा व्यवस्था व्यापक थी, जिसमें निगरानी और रियल टाइम मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया था। रेलपथों और स्टेशनों के पहुंच मार्गों पर भीड़ प्रबंधन के लिए लगभग 1200 सीसीटीवी कैमरे, जिनमें 116 फेस रिकग्निशन सिस्टम कैमरे और ड्रोन कैमरे शामिल थे, तैनात किए गए थे।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और अर्ध-सैन्य बलों के 15,000 अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की गई थी।

इसके अलावा, अन्य भीड़ वाले संवेदनशील रेलवे स्टेशनों अर्थात् वाराणसी, अयोध्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दानापुर और नई दिल्ली आदि पर भी अतिरिक्त तैनाती की गई थी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त अवसंरचना मौजूद है। इसमें 16 प्लेटफार्म, तीन पैदल पार पुल, पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों ओर से पहुंच, स्टेशन के सामने बड़े खुले स्थान आदि हैं। त्यौहारों और कुंभ, छठ, होली आदि जैसे आयोजनों के दौरान यात्रियों की अधिक भीड़ को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नियमित रूप से संभाला जा रहा है।

इसके अलावा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को स्वीकृति दी गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्रों, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकतानुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध रूप से एवं यथा व्यवहार्य स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टर बनाने की भी परिकल्पना की गई है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना में दोनों तरफ बड़े नए स्टेशन भवन, यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त विशाल एयर कॉन्कोर्स, परिवहन के विभिन्न साधनों को जोड़ने वाला मल्टी मोडॉल ट्रांसपोर्ट हब और पार्किंग तथा अन्य

सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। पुनर्विकसित स्टेशन में दो स्तरों पर आवागमन प्रदान करने के लिए और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए सतही और एलिवेटेड सड़कों का एक नेटवर्क की परिकल्पना की गई है। पर्याप्त सुरक्षा उपायों जैसे सीसीटीवी कैमरे, आवागमन नियंत्रण, आवागमन विनियमन और प्रतीक्षा स्थान आदि की भी परिकल्पना की गई है।

स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए धन आवंटन के विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखे जाते हैं, न कि फुटफॉल-वार या कार्य-वार अथवा स्टेशन-वार। यात्री सुविधाओं का वित्तपोषण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अन्तर्गत किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए योजना शीर्ष-53 के तहत 12,994 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का आवंटन किया गया है। दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के तहत स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तर रेलवे को आवंटित राशि (संशोधित अनुमान 2024-25) 1531.24 करोड़ रुपए है।

यात्रियों की अधिक भीड़ को संभालने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं -

1. 60 स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग क्षेत्र:

   क. 2024 के त्यौहारों के दौरान, स्टेशनों के बाहर होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए। ये प्रतीक्षालय सूरत उधना, पटना और नई दिल्ली में भारी भीड़ को संभालने में सक्षम थे। यात्रियों को केवल तब अनुमति दी गई जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी।

   ख. महाकुंभ के दौरान प्रयाग क्षेत्र के नौ स्टेशनों पर इसी तरह की व्यवस्था की गई थी।

ग. इन स्टेशनों पर प्राप्त अनुभव के आधार पर, देश भर के 60 स्टेशनों पर जहां समय-समय पर अत्यधिक भीड़ होती है, वहां स्थायी प्रतीक्षालय बनाने का निर्णय लिया गया है।

घ. प्रायोगिक परियोजनाएँ नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाज़ियाबाद के स्टेशनों पर शुरू हो गई हैं।

ङ. इस अवधारणा के अनुसार, अचानक बढ़ी भीड़ को प्रतीक्षा क्षेत्र के भीतर नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों को प्लेटफार्मों पर पहुंचने की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब गाड़ियां प्लेटफार्म पर पहुंच जाए। इससे स्टेशनों पर भीड़ कम होगी।

2. एक्सेस कंट्रोल:

क. 60 स्टेशनों पर कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल की शुरुआत की जाएगी।

ख. पुष्टशुदा आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफार्मों पर सीधे एक्सेस दिया जाएगा।

ग. बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्री बाहर के प्रतीक्षालय में इंतजार करेंगे।

घ. सभी अनधिकृत एंट्री प्वाइंट को सील कर दिया जाएगा।

3. चौड़े पैदल पार पुल :

क. 12 मीटर चौड़े (40 फीट) और 6 मीटर चौड़े (20 फीट) मानक पैदल पार पुल के दो नए डिज़ाइन विकसित किए गए हैं। रैंप वाले ये चौड़े पैदल पार पुल महाकुंभ के दौरान जन प्रबंधन में बहुत प्रभावी थे। ये नए मानक चौड़े पैदल पार पुल सभी स्टेशनों पर स्थापित किए जाएंगे।

4. कैमरे:

क. महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन में कैमरों की बड़ी भूमिका रही। सभी स्टेशनों और आस-पास के क्षेत्रों में गहन निगरानी के लिए बड़ी संख्या में कैमरे स्थापित किए जाएंगे।

5. वार रूम:

क. बड़े स्टेशनों पर वार रूम विकसित किए जाएंगे। भीड़ की स्थिति के दौरान सभी विभागों के अधिकारी वार रूम में काम करेंगे।

6. नई पीढ़ी के संचार उपकरण:

क. भारी भीड़ वाले सभी स्टेशनों पर वॉकी-टॉकी, घोषणा प्रणाली, कॉलिंग प्रणाली जैसे नवीनतम डिज़ाइन के डिजिटल संचार उपकरण स्थापित किए जाएंगे।

7. नए डिज़ाइन का आईडी कार्ड:

क. सभी कर्मचारियों और सेवा व्यक्तियों को एक नए डिज़ाइन का पहचान पत्र दिया जाएगा

ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही स्टेशन में प्रवेश कर सकें।

8. कर्मचारियों के लिए नए डिज़ाइन की वर्दी:

क. सभी सदस्य कर्मचारियों को नए डिज़ाइन की वर्दियां दी जाएंगी ताकि उन्हें संकट की स्थिति में आसानी से पहचाना जा सके।

9. स्टेशन निदेशक पद का उन्नयन:

क. सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक वरिष्ठ अधिकारी को स्टेशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सभी अन्य विभाग स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।

ख. स्टेशन निदेशक को वित्तीय सशक्तिकरण मिलेगा ताकि वह स्टेशन सुधार के लिए तत्काल निर्णय ले सके।

10. क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री:

क. स्टेशन निदेशक को स्टेशन की क्षमता और उपलब्ध गाड़ियों के अनुसार टिकटों की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार होगा।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन से चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है।

******